न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 7/2019

मोबीन पुत्र अकरम अली निवासी मेडतनी बावड़ी के पास, वार्ड नम्बर 44 झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी भू.अ. कलेक्ट्रेट) झुंझुनू।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.02.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.01.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 7/2019 पर दिनांक 21.01.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी भू.अ. कलेक्ट्रेट) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी भू.अ. कलेक्ट्रेट) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी भू.अ. कलेक्ट्रेट) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/96–97 दिनांक 24.01.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी भू.अ. कलेक्ट्रेट) झुंझुनू ने पत्रांक प–2(23)आर.टी.आई. /2017/324 दिनांक 04.02.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 6516 दिनांक 17.12.2018 के द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी भू.अ. कलेक्ट्रेट) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उनके कार्यालय के पत्रांक 6516 दिनांक 17.12.2018 के द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नवाचक सूचना चाही है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बाध्यकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू.